न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर कैम्प ओलवी

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व वाद संख्या :– 92 / 2020

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
मदनलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ओलवी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट
बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरुस्ती

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांकः–26.11.2021**

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। यह भूमि वादी की स्वअर्जित कृषि भूमि है। वादी के पिता धन्नाराम का देहान्त सेटलमेन्ट से पूर्व हो गया। सेटलमेन्ट के समय विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त वादी का था। विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा व काश्त होने के कारण सेटलमेन्ट अधिकारियों ने वादी का नाम मदनलाल के बजाय मदरूपराम खतौनी बन्दोबस्त में भूलवश या त्रुटिवश दर्ज कर दिया। वादी दिनांक 02.09.2020 को अपनी स्वअर्जित खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक में गया और अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि पर ऋण देने हेतु बैंक मैनेजर साहब से निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि दस्तावेज बैंक मैनेजर साहब के समक्ष पेश किये, जिस पर बैंक मैनेजर साहब ने दस्तावेज देखकर बताया कि आपका सरकारी दस्तावेज में आपका नाम मदनलाल लिखा हुआ है और जमाबन्दी में मदरूपराम लिखा हुआ है, जिस पर बैक मैनेजर ने ऋण देने से मना कर दिया और वादी को कहा कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में शुद्धि आदि करवायी जावे। जिस पर वादी ने दिनांक 05.10.2020 को अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर (भू अभिलेखागार) जोधपुर के कार्यालय के समक्ष

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर दिनांक 08.10.2020 को वादी को खतौनी बन्दोबस्त व जमाबन्दी आदि की नकल प्राप्त की गयी तो वादी को जानकारी हुयी कि खतौनी बन्दोबस्त में वादी का नाम मदरूपराम गलत अंकित किया हुआ है। वादी ने दिनांक 12.10.2020 को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा से सम्पर्क किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने वादी को बताया कि आपका नाम खतौनी बन्दोबस्त में मदरूपराम लिखा हुआ है, इस कारण दुरूस्ती नही की जा सकती है। इस कारण आप न्यायालय के समक्ष घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश करे, इस कारण वादी को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम मदनलाल की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादी मदनलाल एवं मदरूपराम एक ही व्यक्ति है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 76, 310, 453 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, एतराज या अपील, रिवीजन आदि पेश नही की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में मदरूपराम नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकता है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकता है और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकता है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम मदरूपराम लिखने से पूर्व कोई दस्तावेजी जॉच नही की है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मदनलाल था, अतः सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध की गयी है।

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मदरूपराम पुत्र धन्नाराम के स्थान पर मदनलाल पुत्र धन्नाराम की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो जवाब के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ओलवी की भूमि खसरा नम्बर खसरा

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नम्बर 76 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा आयी हुयी है जिसकी खातेदारी वादी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जो वक्त सेटलमेन्ट से मदरूपराम के नाम से दर्ज है तथा सरकारी दस्तावेजात मदनलाल के नाम से जारी किये हुये है अंत मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का नाम मदरूपराम पुत्र धन्नाराम के स्थान पर मदनलाल पुत्र धन्नाराम किये जाने पर भूमिधारी को कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी का साक्ष्य शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया, वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के तौर पर प्रदर्श 1 खतौनी वंदोबस्त खसरा नम्बर 76, 310, 453, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2039 से 2042 खसरा 76, 310, 453, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत 2044 से 2047 खसरा नम्बर 76, 310, 453, प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2048 से 2051 खसरा नम्बर 76, 310, 453, प्रदर्श–5 जमाबंदी संवत 2052 से 2055 खसरा नम्बर 76, 310, 453, प्रदर्श 6 आधारकार्ड मदनलाल पुत्र धन्नाराम, प्रदर्श 7 पहचान पत्र मदनलाल पुत्र धन्नाराम, प्रदर्श 8 राशन कार्ड मदनलाल पुत्र धन्नाराम, प्रदर्श 9 पेन कार्ड मदनलाल पुत्र धन्नाराम, प्रदर्श 10 भामाशाह कार्ड मदनलाल पुत्र धन्नाराम के पेश किये। वादी ने साक्ष्य सबूत के तौर पर प्रदर्श 1 से 10 में अपने स्वयं के दस्तावेज के अलावा कार्यालय ग्राम पंचायत ओलवी द्वारा जारी किया गया दिनांक 26.11.2021 का प्रमाण पत्र पेश किया। तथा वादी ने अपने बयान गवाह पी.डब्लू 2 भगाराम पुत्र हरीराम जाति माली निवासी ओलवी तहसील बिलाड़ा (पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ओलवी) के बयान कलमबद्ध करायें गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के दावे को स्वीकार कर डिक्री करने का निवेदन किया। उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त वादी का चला आ रहा है। मदरूपराम व मदनलाल एक ही व्यक्ति है। इस कारण समस्त बयान गवाहान व दस्तावेजो के आधार पर वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। उपरोक्त साक्ष्य के समग्र विश्लेषण से वादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व बयान गवाहो से यह स्पष्ट किया है कि वादी का सरकारी

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दस्तावेजों में उसका नाम मदनलाल दर्ज किया हुआ है। इस कारण वादी का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः वादी का वाद बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती डिक्री किया जाकर ग्राम ओलवी तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 76 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 310 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 453 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा 3 कुल रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार मदरूपराम पुत्र धन्नाराम के स्थान पर मदनलाल पुत्र धन्नाराम की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाती है खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा